निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 14 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिलाधिकारी, सितारगंज**, **उधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिलाधिकारी, सितारगंज**, **उधमसिंहनगर** के माह **03/2016** से **06/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव**, श्री **खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त**, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **21.07.2018** से **26.07.2018** तक श्री **प्रेम चन्द्र**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

(1.) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही एवं एस.के. सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.02.2016 से 02.03.2016 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2012 से 02/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2.) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **गढ़वाल परिक्षेत्र-रूड़की**

(ii.) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	181.02	181.02	4.73	4.73	-	-
2016-17	-	-	189.66	189.66	3.34	3.34	-	-
2017-18	-	-	197.70	183.56	8.22	8.22	-	14.14
2018-19			197.70	66.20	3.97	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः निरंक

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) के द्वारा किया जाता है। इकाई व्यय को सम्मलित न करते हुए इकाई कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, उधमसिंहनगर को श्रेणी 'सी' की है।

उपजिलाधिकारी, सितारगंज, उधमसिंहनगर विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
कानूनगो/भूलेख निरीक्षक(मैदानी/पर्वतीय)
राजस्व उप निरीक्षक
लेखपाल

(iV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड़ कुमाऊँ परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। कार्यालय उपजिलाधिकारी, सितारगंज, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छांदित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण प्रतिवेदन अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, सितारगंज, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत माह 11/17, 03/18, 03/16 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग दो अ

प्रस्तरः1- ई-डिस्टक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 10.41 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-140/xxxiv/2015/15/2008 पार्ट-2 दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्पयूटरीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओ के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय के ई-डिस्टिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी खटीमा के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2016 से दिनांक 23 जुलाई 2018 तक ई-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत सितारगंज तहसील में कुल 68316 प्रमाण पत्र बनाये गये। जिनमें से तहसील स्तर से 15408 प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं लाभार्थियों से प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क प्राप्त किये गए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 52908 लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किये परन्तु उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 565057 शुल्क प्राप्त किये गये। इस प्रकार जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 1587180 शुल्क लिया जाना चाहिए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 19.32 प्रति लाभार्थी प्रमाण पत्र की दर से 52908 लाभार्थियों से रू 1041229 शुल्क कम प्राप्ति किये गये। जिसके कारण विभाग को रू 10.41 लाख की राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि प्रकरण पर यथोचित निर्णय शासन स्तर से ही संभव है। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क का निर्धारण किये जाने के बाद भी कामन सर्विस सेन्टरों द्वारा कम शुल्क लिया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः इ-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 10.41 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो अ</u>

<u>प्रस्तर-02-</u> अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 52.98 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य की अन्य योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त निधियों के संचालन हेतु **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सितारगंज** में चालू बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। उक्त खाते तहसीलदार सितारगंज के पदनाम से है। उक्त खातों में 24 जुलाई, 2018 को खाता सख्या-33120169499 में रू 66.60 लाख तथा खाता संख्या-11180165102 में रू 29.67 लाख अर्थात उक्त दोनों खातों में रू 96.27 लाख की धनराशि जमा थी। उक्त दोनों खातों की कुल धनराशि में रू 43.29 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी जिसका भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था तथा शेष धनराशिरू 52.98 लाख विगत कई वर्षों से अनविज्ञ मदो की अवरूद्ध पड़ी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि प्रश्नगत खातों का भविष्य में अवलोकन कर निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर-01</u>- मुख्य एवं विविध देयों/ आर0सी0 की धनराशि रू 955.40 लाख वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के मुख्य एवं विविध देयों/ आर0सी0 से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व विविध देयों/आर0सी0 में रू 704.91 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक विविध देयों में रू 248.75 लाख एवं मुख्य देयों में रू 1.74 लाख अर्थात कुल रू 955.40 लाख के मुख्य एवं विविध देयों/आर0सीज0 की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित थी, जबकि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। जिनका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	विविध देयों/ आर0सीज0 की वसूली हेतु अवशेष धनराशि	मुख्य देयों की वसूली हेतु लम्बित धनराशि	मुख्य व विविध देयों/ आर0सीज0 की वसूली हेतु लम्बित कुल धनराशि
विगत वर्षों की वसूली हेतु लम्बित धनराशि	704.91	-	704.91
2015-16	53.21	0.82	54.03
2016-17	62.45	0.46	62.91
2017-18	133.09	0.46	133.55
योग	**953.66**	**1.74**	**955.40**

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर-02-</u> राजकीय सेवकों को आवंटित राजकीय वाहन की निर्धारित दर की कुल धनराशि रू 26400 की कम कटौती करना।

वित्त संसाधन(विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः19 मई,1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह(पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून,2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई,2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000 रू प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वेतन बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी को आवंटित राजकीय वाहन की माह 12/2016 से 10/2017 तक उनके वेतन से कुल रू 14000 कटौती नहीं की गयी थी तथा श्री रमेश चन्द्र, तहसीलदार को आवंटित सरकारी वाहन की माह मार्च 2014 से सितम्बर, 2016 तक आवंटित राजकीय वाहन की उक्त शासनादेश में उल्लिखित दर से रू 12400/ की कटौती नहीं की गयी थी अर्थात उक्त दोनो अधिकारियों से प्रश्नगत अवधि की उनके वेतन से कटौती की कुल धनराशि रू 26400 लेखापरीक्षा तक कटौती हेतु लम्बित थी। विस्तृत विवरण निम्नवत है-

अधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि		लम्बित कटौती की कुल धनराशि
श्री विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी	12/2016	04/2017	400x5 = 2000
	05/2017	10/2017	2000x6 = 12000
श्री रमेशचन्द्र, तहसीलदार	03/2014	09/2016	400x31 = 12400
		योग	= 26400

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगां

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-01-</u> आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 18.87 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रेषित न किया जाना तथा रू 75200/की अधिक समर्पित धनराशि का समायोजन न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के दैवीय आपदा मोचन निधि से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में जिला स्तर से कुल आवंटन रू 50.00 लाख के सापेक्ष रू 8.87 लाख का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि रू 41.13लाख के सापेक्ष रू 41.88200 लाख का समर्पण किया गया अर्थात रू 75200/ अधिक समर्पण किया गया था। अभिलेखों में यह भी पाया गया कि अधिक समर्पित धनराशि एन0पी0आर0 डाटा फिडिंग की थी। तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारी को प्रषित पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिक समर्पित धनराशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाले आपदा मोचन निधि बजट से समायोजित करते हुए बजट आवंटन कम किया जाय। परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा न अधिक समर्पण की गयी धनराशि को उपजिलाधिकारी सितारगंज को वापस की गयी थी न किसी मद से समायोजन किया गया था तथा तहसील स्तर उक्त अवधि में व्यय की गयी रू 8.87 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी उच्चाधिकारी को प्रेषित नहीं किये गये थे जबकि उपयोगिता प्रमाण प्रत्र 31- मार्च तक प्रेषित हो जाने चाहिए थे। विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वर्ष	कुल बजट आवंटन	आवंटन के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि	व्यय के सापेक्ष लम्बित यू0सी0 की धनराशि	अवशेष धनराशि	समर्पण की राशि	अवशेष से अधिक समर्पण की राशि
2016-17	35.00	12.12	12.12	22.88	19.00000	00
					4.63200	0.75200
2017-18	25.00	6.75	6.75	18.25	18.25000	00
योग	60.00	**18.87**	**18.87**	41.13	**41.88200**	0.75200

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युतर में बताया कि अधिक समर्पित धनराशि के सम्बंध में ततकालीन तहसीलदार द्वारा पत्राचार किया गया था, किन्तु जिलाधिकारी स्तर से कार्यवाही अपेक्षित थी। तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने के सम्बंध में बताया कि आपदा मद में वितरित धनराशि का वितरण रजिस्टर की छायाप्रति सी0आर0ए0 कक्ष को भेजी जाती है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं

क्योंकि अधिक समर्पण के सम्बंध में विगत एक वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि के व्ययोंपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करके प्रेषित किये जाने चाहिए थे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-02-</u> राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना' हेतु तहसील स्तर पर तैयार किये गये रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया संदिग्धपूर्ण सत्यापन/ निरीक्षण का प्रकरण।

राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना योजना 2015-16 हेतु राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़ देहरादून द्वारा निर्गत निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-3 एवं 4 में उल्लिखित है कि जिला स्तर पर रोस्टर के आधार पर सभी ग्रामों का निरीक्षण निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जाये। निरीक्षण के उपरान्त उसकी एक-एक प्रति सम्बंधितों को तथा एक प्रति प्रदेश मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाय। निरीक्षण हेतु ग्रामों का प्रतिशत इस प्रकार से हैः- **राजस्व निरीक्षकः** अपने अधीनस्थ राजस्व उप निरीक्षकों(पटवारी/लेखपाल) के 40-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र एल-1 एवं 80-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच के जांच करेंगें। **नायब तहसीलदार :** तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्रामों में से 10-प्रतिशत एल-1 एवं 10- प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें। **तहसीलदार** : तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्रामों में से 05-प्रतिशत ग्रामों के एल-1 एवं 05-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें। **उपजिलाधिकारी** : तहसील के 02-प्रतिशत ग्रामों के एल-1, एल-2 एवं 02-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर की कृषि गणना से सम्बंधित पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि तहसील द्वारा कृषि गणना के प्रथम चरण में तहसील के अन्तर्गत 127 गॉवों में से 123 गॉवों में रूपपत्र एल-01,एल-01 का सांराश एल-02, एल-03 एवं तालिका-01 को पूर्ण करवाकर जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को दिनांकः 21.02.2017 प्रेषित किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि तहसील सितारगंज में 5-गॉव गैर आबाद होने के कारण उक्त विवरण पत्र तैयार नहीं किये गये थे। तहसील स्तर पर संदर्भित योजना हेतु जिला स्तर से उपलब्ध कराये रूपपत्रों के रख-रखाव हेतु पंजिका भी नहीं बनायी गयी थी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त योजना हेतु प्रश्नगत तहसील को कितने रूपपत्र उपलब्ध करवायें गये थे और कितने रूपपत्र अवशेष थे तथा तहसील स्तर पर उक्त पंजिका का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। सम्बंधित ग्रामों के उप-निरक्षकों द्वारा तैयार किये गये रूपपत्रों का तहसील स्तर पर उल्लिखित प्रतिशतानुसार उच्चाधिकारियों द्वारा सत्यापन/निरीक्षण किया जाना चाहिए था जिससे सम्बंधित अभिलेख तहसील स्तर पर न होने के कारण संदिग्धपूर्ण प्रतीत होता है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित अभिलेख जिला कार्यालय में जमा किये जा

चुके है। अतः निरीक्षण किये जाने के सम्बंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृष कार्यक्रम के उपयोगार्थ ऑकड़ों का तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित ऑकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों की विश्वासनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
59/2016-17	-	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
59/2016-17	**शून्य**	**अप्रस्तुत**	**शून्य**	**-**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **उप-जिलाधिकारी, सितारगंज,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएः **शून्य**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री ए.पी. बाजपेयी	उपजिलाधिकारी	16.12.2015	05.04.2016
2.	श्री अनिल कुमार शुक्ला	उपजिलाधिकारी	06.04.2016	02.12.2016
3.	श्री विनोद कुमार	उपजिलाधिकारी	03.12.2016	11.05.2018
4.	श्रीमती निर्मल बिष्ट	उपजिलाधिकारी	12.06.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **उप-जिलाधिकारी, सितारगंज** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन द्वितीय तल को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र